न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 150 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. पोकराराम पुत्र रतनाराम	बनाम	1.मंगलाराम पुत्र खुमाराम
2. दुर्गाराम पुत्र धुड़ाराम		2.श्रीराम पुत्र खुमाराम
3. जसोदा पुत्र धुड़ाराम		3.गंगाविशन पुत्र खुमाराम
4. किशनाराम पुत्र गणेशाराम		जातियान विश्नोई निवासीयान
5. हरीश पुत्र गोमाराम		धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना
6. भागीरथ पुत्र गोमाराम		जिला बाड़मेर।
7. राजू पुत्र गोमाराम		4.श्रीमान तहसीलदार धोरीमन्ना
8. जगदीश पुत्र गोमाराम जातियान जटिया निवासियान नेडीनाडी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर हाल जटियों का वास बाड़मेर।		

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 29 / 1961 बअनवान खुमा बनाम गुणेशा के कायम मुकाम में पारित निर्णय दिनांक 24.07.1961 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मुकेश जैन रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 09.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा संख्या 352 रकबा 15.02 बीघा, खसरा संख्या 357 रकबा 15.15 बीघा, खसरा संख्या 359 रकबा 08.03 बीघा, खसरा संख्या 380 रकबा 05.05 बीघा, खसरा संख्या 381 रकबा 02 बीघा कुल रकबा 46.05 बीघा भूमि मौजा धौरीमन्ना तहसील धौरीमन्ना बाबत एक ही दिन में किसी भी कानूनी प्रक्रिया व विधि का अनुसरण किये बिना अपीलांटगण के पूर्व पुरूष पैहलादराम व अपीलांट की पैतृक भूमि के खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधिकार जरिऐ निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.1961 के जरिऐ उतरदाता के पूर्व पुरूष खुमा के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिये, एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित एवं विधि की अवज्ञा कारित कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की भूमि अन्य सवर्ण वर्ग के व्यक्ति को किसी भी रूप में हस्तान्तरित करने पर प्रतिबंधित है, उक्त सिद्धान्तों की भी अवज्ञा कर अपीलांटगण जो कि अनुसूचित जाति वर्ग से तालूक रखते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 352 रकबा 15.02 बीघा, खसरा संख्या 357 रकबा 15.15 बीघा, खसरा संख्या 359 रकबा 08.03 बीघा, खसरा संख्या 380 रकबा 05.05 बीघा, खसरा संख्या 381 रकबा 02 बीघा कुल रकबा 46.05 बीघा भूमि मौजा धौरीमन्ना तहसील धौरीमन्ना बाबत एक ही दिन में किसी भी कानूनी प्रक्रिया व विधि का अनुसरण किये बिना अपीलांटगण के पूर्व पुरूष पैहलादराम व अपीलांट की पैतृक भूमि के खातेदारी अधिकार जरिऐ **निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.1961** के जरिऐ उतरदाता के पूर्व पुरूष खुमा के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की भूमि अन्य स्वर्ण वर्ग के व्यक्ति को किसी भी रूप में हस्तान्तरित करने पर प्रतिबंधित है। उक्त सिद्धान्तों की भी अवज्ञा कर अपीलांटगण जो कि अनुसूचित जाति वर्ग से तालूक रखते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित एवं विधि की अवज्ञा कारित कर पारित की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी पर वक्त पैमाईश से आज तक रेस्पोडेंटगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है और कब्जा बदस्तुर बहेसियत खातेदार के मुदई का है। वक्त पैमाईश के भी मुदई ने साथ में रहकर अपीलाधीन आराजी को नपवाये थे और खरचा बरदास्त कर अपने नाम दर्ज भी करवाये थे मगर बाद में बन्दोबस्त वालों ने भूल से अपीलांटगण के नाम खातेदारी दर्ज कर पर्चा लगान जारी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

के पक्ष में जारी डिक्री विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नही है। अपीलांटगण द्वारा अनुसूचित जाति की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 पर की गई आपति सारहीन है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारी होने के बाद में प्रभाव में आये है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि सम्मत निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी वर्ष 2014 में हुई थी जिसकी जानकारी होने पर अपीलांटगण की ओर से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बाड़मेर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के तहत रेफरेन्स आवेदन संख्या 02/2014 पेश किया गया। जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा रेफरेंस आवेदन को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अन्तिम निर्णय हेतु रेफर किया था एवं राजस्व मण्डल अजमेर में उक्त आवेदन दिनांक 22.05.2017 को निर्णय पारित किया गया तथा धारा 42 के प्रावधानों के विरूद्ध खातेदारी अधिकार हस्तान्तरण होने पर उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कानून के हत अन्य कार्यवाही की जा सकती है। राजस्व मण्डल आजमेर ने अपीलांटगण को श्रीमान के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिये छूट प्रदान की है जिसके तहत अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.07.1961 के विरूद्ध अपील दिनांक 27.09.2017 को पेश की गई जो तकरीबन 56 साल बाद पेश की गई। जो की अत्यधिक विलंब से पेश की गई। तथा 56 साल के विलंब को Explain नहीं किया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुआ विलम्ब सद्भावना पूर्वक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा की गई देरी सदभाविक नहीं है। अपील प्रस्तुति में लगभग 56 वर्ष की देरी के समुचित कारणों को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते हैं। चूंकि प्रकरण मे मैरिट पर भी बहस सुनी जा चुकी है। अतः मामले में पर निर्णय मैरिट पर करने हेतु अग्रसर होना भी उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांटगण द्वारा इसी मामले में एक रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेन्स/एल.आर./5363/2015/बाड़मेर पोकरराम व अन्य बनाम मंगलाराम व अन्य पेश हुआ जिसका निर्णय दिनांक 22.05.2017 को हुआ। यह रेफरेन्स जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश दिनांक 28.05.2015 के विरूद्ध पेश हुआ, जिसमें आर.टी.एक्ट की धारा 42(ख) के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय दिया गया था। रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल द्वारा खारिज किया जा चुका है। मामले में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.07.1961 के विरूद्ध, जो प्रतिवादी/उतरदातागण पक्ष द्वारा इकबालिया जबावदावा देने के कारण दिया गया है, अपील की गई है और इसमें आर.टी.एक्ट की धारा 42(ख) के प्रावधानों के उल्लंघन के बारे में मुख्य रूप से आपति की गई है। धारा 42(ख) के प्रावधान अपीलाधीन निर्णय के बाद में विधि में जोड़े गए हैं इसलिए इनका प्रभाव भूतलक्षी नहीं हो सकता। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.07.1961 से स्पष्ट है कि "अपीलाधीन निर्णय मुदायलाह धूड़ा, गोमा, बोधा के द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर हुआ है" इसलिए **विधि की दृष्टि में इसकी अपील पोषणीय नहीं है।** अतः उपरोक्त सभी तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर, सारहीन एवं विधि वर्जित होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/1961 बअनवान खुमा बनाम गुणेशा के कायम मुकाम में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.07.1961 को यथावत रखा जाता है।

9/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner